



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2010/श्रावण 21, 1932

No. 451]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2010/SHRAVANA 21, 1932

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 675(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची-III भाग-III में विद्यमान फार्म पी-4 के स्थान पर निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“फार्म पी-4

आपातिक प्रमाण-पत्र का फार्म

(मुख पृष्ठ)

आपातिक प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य

(मुख पृष्ठ के अंदर)

भारत गणराज्य

धारक का फोटो

प्रकार

देश कोड

ईसी सं.

पी

भारत

.....

उपनाम

दिए गए नाम

राष्ट्रीयता

लिंग

जन्म तिथि

जन्म स्थान

धारक का हस्ताक्षर जारी करने का स्थान

जारी करने की तारीख

समाप्ति की तारीख

(पृष्ठ सं. एक)

आपातिक प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

यह प्रमाण-पत्र भारत की केवल एक बार की यात्रा के लिए वैध है।

यह प्रमाण-पत्र धारक को आप्रवासन/बीजा विनियमों से छूट नहीं देता।

चेतावनी : धारक इस प्रमाण-पत्र को सावधानीपूर्वक अपने पास रखें और डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करें (प्रवेश पत्तन पर आप्रवासन प्राधिकारी ईसी को निरस्त करके इसे धारक को लौटा दें)।

मोहर

जारी करने वाले प्राधिकारी का दिनांक सहित हस्ताक्षर

<p>(पृष्ठ सं. दो)</p> <p>आपातिक प्रमाण-पत्र</p> <p>इस आपातिक प्रमाण-पत्र में 8 पृष्ठ हैं।</p>	<p>पति/पत्नी का नाम</p> <p>वर्तमान पता</p> <p>स्थायी पता</p> <p>पुराना पासपोर्ट संख्या/जारी करने की तारीख/पीआईए...../फाइल सं.</p>
<p>(पृष्ठ सं. तीन)</p> <p>आपातिक प्रमाण-पत्र</p> <p>बीजा</p>	<p>(पिछला कवर)</p> <p>ईसी संख्या''</p> <p>[फा. सं. V.I/401/01/01/2008]</p>
<p>(पृष्ठ सं. चार)</p> <p>आपातिक प्रमाण-पत्र</p> <p>बीजा</p>	<p>अ. माणिकम, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी</p>
<p>(पृष्ठ सं. पांच)</p> <p>ईसी संख्या</p> <p>आपातिक प्रमाण-पत्र</p> <p>बीजा</p>	<p>टिप्पणी : 11 दिसंबर, 1980 के सा.का.नि. 691 (अ) के तहत मुख्य नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा निम्नलिखित के तहत बाद में संशोधन हुए :—</p>
<p>(पृष्ठ सं. छह)</p> <p>ईसी संख्या</p> <p>आपातिक प्रमाण-पत्र</p> <p>बीजा</p>	<p>(i) सा.का.नि. 50(अ), दिनांक 7-2-1981</p> <p>(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 10-6-1981</p> <p>(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-6-1982</p> <p>(iv) सा.का.नि. 325(अ), दिनांक 12-4-1983</p> <p>(v) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-6-1983</p> <p>(vi) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-3-1985</p> <p>(vii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 1-11-1985</p> <p>(viii) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987</p> <p>(ix) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 11-2-1988</p> <p>(x) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988</p> <p>(xi) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-6-1990</p> <p>(xii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 20-7-1990</p> <p>(xiii) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 4-3-1991</p> <p>(xiv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-3-1991</p> <p>(xv) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-6-1991</p> <p>(xvi) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-1-1992</p> <p>(xvii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-6-1992</p> <p>(xviii) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 7-8-1992</p> <p>(xix) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-6-1993</p> <p>(xx) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 1-7-1993</p> <p>(xxi) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-7-1993</p> <p>(xxii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांक 2-12-1994</p> <p>(xxiii) सा.का.नि. 592(अ), दिनांक 7-8-1995</p> <p>(xxiv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 28-8-1997</p> <p>(xxv) सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 5-10-1998</p> <p>(xxvi) सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 8-7-1999</p> <p>(xxvii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांक 29-12-1999</p> <p>(xxviii) सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 22-5-2000</p> <p>(xxix) सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 22-5-2000</p> <p>(xxx) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 23-5-2000</p> <p>(xxxi) सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 8-6-2000</p> <p>(xxxii) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 12-6-2000</p> <p>(xxxiii) सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 29-6-2000</p>
<p>(पृष्ठ सं. सात)</p> <p>ईसी संख्या</p> <p>कारण</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>अभ्युक्तियां</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>(पृष्ठ सं. आठ)</p> <p>ईसी संख्या</p> <p>तारीख तक नवीकृत</p>	
<p>मोहर</p> <p>जारी करने वाले प्राधिकारी का दिनांक सहित हस्ताक्षर</p> <p>(केवल भारतीय आप्रवासन के प्रयोग हेतु)</p> <p>पोत/उड़ान सं.</p> <p>आगमन की तारीख</p> <p>आगमन का बंदरगाह/हवाई अड्डा</p> <p>मोहर</p>	
<p>(पिछले कवर के अंदर)</p> <p>ईसी संख्या</p> <p>पिता/कानूनी अभिभावक का नाम</p> <p>माता का नाम</p>	

- (xxxiv) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 26-6-2001
 (xxxv) सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 13-7-2001
 (xxxvi) सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 2-8-2001
 (xxxvii) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 27-7-2001
 (xxxviii) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 5-12-2001
 (xxxix) सा.का.नि. 235(अ), दिनांक 28-3-2002
 (xl) सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 29-5-2002
 (xli) सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 23-5-2003
 (xlii) सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 5-5-2005
 (xliii) सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27-10-2006
 (xliv) सा.का.नि. 768(अ), दिनांक 23-12-2006
 (xlv) सा.का.नि. 396(अ), दिनांक 25-5-2007
 (xlvi) सा.का.नि. 733(अ), दिनांक 28-11-2007
 (xlvii) सा.का.नि. 526(अ), दिनांक 2-8-2007
 (xlviii) सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 22-1-2008
 (xlix) सा.का.नि. 103(अ), दिनांक 22-2-2008
 (I) सा.का.नि. 850(अ), दिनांक 11-12-2008
 (Ii) सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 4-6-2009
 (Iii) सा.का.नि. 93, दिनांक 26-6-2009
 (liii) सा.का.नि. 372 (ई), दिनांक 27-4-2010

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2010

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by section 24, read with section 5 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely :—

- (1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Passports Rules, 1980, in Schedule III, in Part III, for the existing Form P-4, the following Form shall be substituted, namely :—

“FORM P-4

Form of Emergency Certificate
 (Front Cover)

EMERGENCY CERTIFICATE



REPUBLIC OF INDIA
 (Inside Front Cover)

REPUBLIC OF INDIA

Photo of Bearer	Type	Country Code	EC. No.
	P	IND
Signature of bearer	Surname	Given Name(s)	
	Nationality	Sex	Date of Birth
	Place of Birth	Place of Issue	
	Date of Issue	Date of Expiry	

(Page No. one)

EMERGENCY CERTIFICATE



THIS CERTIFICATE IS VALID FOR SINGLE JOURNEY
 TO INDIA

CERTIFICATE DOES NOT EXEMPT HOLDER FROM
 IMMIGRATION/VISA REGULATIONS

CAUTIONS : HOLDER SHOULD CAREFULLY KEEP
 THIS CERTIFICATE AND SUBMIT IT ALONG WITH
 HIS APPLICATION FOR DUPLICATE PASSPORT
 (IMMIGRATION AT PORT OF ENTRY SHOULD
 CANCEL THE EC AND RETURN TO THE HOLDER)

SEAL

Signature of issuing authority with date
 (Page No. Two)

EMERGENCY CERTIFICATE

This Emergency Certificate contains 8 pages
 (Page No. Three)

EMERGENCY CERTIFICATE

VISA

(Page No. Four)

EMERGENCY CERTIFICATE

VISA

(Page No. Five)

EC Number

EMERGENCY CERTIFICATE

VISA

(Page No. Six)

EC Number

EMERGENCY CERTIFICATE

VISA

(Page No. Seven)

EC Number

Reason

.....

Remarks	(x) G.S.R. 1155(E), dated 21-11-1988;
.....	(xi) G.S.R. 622(E), dated 27-06-1990;
.....	(xii) G.S.R. 653(E), dated 20-07-1990;
.....	(xiii) G.S.R. 100(E), dated 04-03-1991;
(Page No. Eight)	(xiv) G.S.R. 275(E), dated 20-03-1991;
EC Number	(xv) G.S.R. G.S.R. 586(E), dated 21-06-1991;
Renewed upto	(xvi) G.S.R. 111 (E), dated 22-01-1992;
SEAL	(xvii) G.S.R. 684(E), dated 15-06-1992;
.....	(xviii) G.S.R. 721 (E), dated 07-08-1992;
Signature of issuing authority with date	(xix) G.S.R. 477(E), dated 16-06-1993;
(for use of Indian Immigration only)	(xx) G.S.R. 485(E), dated 01-07-1993;
Vessel/Flight No.	(xxi) G.S.R. 503(E), dated 10-07-1993;
Date of Arrival	(xxii) G.S.R. 833(E), dated 02-12-1994;
Port/Airport of Arrival	(xxiii) G.S.R. 592(E), dated 07-08-1995;
SEAL	(xxiv) G.S.R. 491 (E), dated 28-08-1997;
.....	(xxv) G.S.R. 605(E), dated 05-10-1998;
(Inside Back Cover)	(xxvi) G.S.R. 516(E), dated 08-07-1999;
EC Number	(xxvii) G.S.R. 827(E), dated 29-12-1999;
Name of Father/Legal Guardian	(xxviii) G.S.R. 472(E), dated 22-05-2000;
Name of Mother	(xxix) G.S.R. 473(E), dated 22-05-2000;
Name of Spouse	(xxx) G.S.R. 485(E), dated 23-05-2000;
Present Address	(xxxi) G.S.R. 529(E), dated 08-06-2000;
Permanent Address	(xxxii) G.S.R. 584(E), dated 12-06-2000;
Old Passport No./Year of Issue/PIA.....File No.	(xxxiii) G.S.R. 632(E), dated 29-06-2000;
(Back Cover)	(xxxiv) G.S.R. 482(E), dated 26-06-2001;
EC Number"	(xxxv) G.S.R. 527(E), dated 13-07-2001;
	(xxxvi) G.S.R. 576(E), dated 27-07-2001;
	(xxxvii) G.S.R. 817(E), dated 02-11-2001;
	(xxxviii) G.S.R. 879(E), dated 05-12-2001;
	(xxxix) G.S.R. 235(E), dated 28-03-2002;
	(xl) G.S.R. 417(E), dated 29-05-2002;
	(xli) G.S.R. 429 (E), dated 23-05-2003;
	(xlii) G.S.R. 399(E), dated 05-05-2005;
	(xliii) G.S.R. 674(E), dated 27-10-2006;
	(xliv) G.S.R. 768(E), dated 23-12-2006;
	(xlv) G.S.R. 396(E), dated 25-05-2007;
	(xlvi) G.S.R. 733 (E), dated 28-11-2007;
	(xlvii) G.S.R. 526(E), dated 02-08-2007;
	(xlviii) G.S.R. 43(E), dated 22-01-2008;
	(xlix) G.S.R. 103(E), dated 22-02-2008;
	(l) G.S.R. 850(E), dated 11-12-2008;
	(li) G.S.R. 390(E), dated 04-06-2009;
	(lii) G.S.R. 93, dated 26-06-2009;
	(liii) G.S.R. 372(E), dated 27-04-2010

[F. No. V. 1/401/01/01/2008]

A. MANICKAM, Jt. Secy. & Chief Passport Officer

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended *vide* :—

- (i) G.S.R. 50(E), dated 07-02-1981;
- (ii) G.S.R. 494(E), dated 10-06-1981;
- (iii) G.S.R. 469(E), dated 24-06-1982;
- (iv) G.S.R. 325(E), dated 12-04-1983;
- (v) G.S.R. 494(E), dated 16-06-1983;
- (vi) G.S.R. 345(E), dated 29-03-1985;
- (vii) G.S.R. 860(E), dated 01-11-1985;
- (viii) G.S.R. 857(E), dated 13-10-1987;
- (ix) G.S.R. 84(E), dated 11-02-1988;